न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 26/2002/प्रार्थना पत्र 14(4)

1. महादेव
2. हनुमान — पुत्रगण तुलछाराम
3. गणेशराम
4. नरसाराम
5. धीसाराम
6. चतरू
7. सुरजाराम — पुत्रगण हरजीराम
8. खेमाराम
9. रिछपाल

जाति जाट निवासी ढाणी नवोडा तन मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

प्रार्थीगण

बनाम

1 भगताराम पुत्र मामराज जाति जाट निवासी ढ़ाणी आलनपुरा तन मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट विरूद्व अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 29.06.1963 बाबत भूमि आवंटन बहक भगताराम पुत्र मामराज जाट निवासी ढ़ाणी आलनपुर तन मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर

वकील प्रार्थी श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

निर्णय **दिनांकः—02.12.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि 472/902, 472, 469, 468, 460 लगायत 464, 466, 467, 470, 471, 480 लगायत 495, 501 लगायत 513, 518 लगायत 521, 523 लगायत 527, 617 लगायत 620 व अन्य आराजी ग्राम मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर की तन में स्थित है, जो आवेदकगण की पैतृक काश्त की भूमि है। भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 472, 469, व 468 आवेदक की पैतृक काश्त की भूमि है और आवेदकगण की अन्य खसरा नम्बर की आराजियात के सम्मलित में ही काश्त होती आ रही है व मौके पर एक ही खेत हैं, परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से इन आराजियात का क्षैत्रफल सरकारी भूमिगत ख0नं. 329 के नक्शा ट्रेस में सम्मलित होकर किस्म आराजी सरकारी भूमि अंकित ही गईं। जबकि यह भूमि कभी सरकारी भूमि नही रही बल्कि आवेदकगण के खेत का एक ही भाग निरन्तर चली आ रही है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 29.06.1963 के द्वारा भूमि गत ख0नं. 329 तन मलिकपुर तहसील श्रीमाधोपुर मे से 8 बीघा पुख्ता भूमि के विरूद्व नियम व अवैद्व तरीके से अनावेदक सं. 1 भगताराम को आवंटन कर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 आवंटन दिनांक 29.06.1963 को भूमिहीन काश्तकार नही था। अप्रार्थी सं. 1 भगताराम स्वयं के व उसकें पिता की खातेदारी में सैकडो बीघा जमीन थी। भूमि गत खसरा नं. 329 का क्षेत्रफल राजस्व रिकार्ड में गलती

से 26 बीघा 4 बिस्वा अंकित था। जबकि वास्तव में इस भूमि खसरा नं. 329 का मौके पर हमेशा से क्षेत्रफल 16 बीघा रहा है तथा शेष 10 बीघा 4 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पैतृक काश्त की व भूमि ख0 नं0 331 का भाग है। जिसे राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से गत ख0 नं. 329 में सम्मलित करते हुये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में अंकित करदी गई, जो सर्वथा अवैद्ध व शून्य है। गत ख0नं0 329 के रिकार्ड में जो प्रार्थीगण की काश्त की भूमि अंकित कर दी गई उसकें वर्तमान ख0नं0 472/902, 468, 469, 492 तन ग्राम मलिकपुर है तथा इन खसरा नम्बरान से लगती ही दक्षिण व पूर्व में प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ख0नं0 457 लगायत 461, 467, 471, 471/903, 479 लगायत 495 स्थित है। इन आराजियात मे से ख0नं0 457 व 465 राजस्व अधिकारियों की गलती की वजह से सिवायचक अंकित हो गई व ख0नं0 468, 469, 472 अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी में अंकित हो गई तथा ख0नं0 472/903 व 479 सुल्तान, भागला आदि मीणो की खातेदारी में अंकित हो गई, जिसकें सम्बन्ध में प्रार्थीगण अलग से कार्यवाही सक्षम न्यायालय में करेगें। भूमि गत ख.नं. 329 मौके पर हमेशा से 16 बीघा भूमि रही है व आवंटन के रोज भी 16 बीघा भूमि ही उपलब्ध थी जिसे योग्य तहसीलदार ने दो व्यक्ति भगवान सहाय पुत्र लच्छीराम व कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल दर्जी की अलाट की थी जिनमें से कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल ने लिखमाराम पुत्र मंगलाराम जाट को विक्रय करदी है जिसकें हक में राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अंकित हो चुकी है, जिसका वर्तमान ख0नं0 453 रकबा 3.98 हैक्टर है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 329 की कोई भूमि आवंटन योग्य मौके पर न होते हुये भी योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने अप्रार्थी सं. 1 भगताराम को भूमि आवंटन करने की गलती की है। अप्रार्थी संख्या 1 का भूमि वर्तमान ख0 नं0 472, 469, 468 तन मलिकपुर पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि ये आराजियात हमेशा से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है व प्रार्थीगण की अन्य आराजियात 8 के सम्मलित में मौके पर काश्त होती आ रही है व मौके पर एक ही खेत है। अप्रार्थी संख्या 1 का खातेदारी में बिना कब्जा व बिना किसी आधार के नाम गलत आवंटन के आधार पर लगा हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 भगताराम स्वयं भी भूमि वर्तमान ख0नं0 472, 469,व 468 तन मलिकपुर पर अपना कब्जा नही मानता है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि खसरा नम्बर 453 मे से दक्षिणी साईड की 1.88 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में दावा इस्तकरार व स्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख0नं0 453 के खातेदारान के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर में कर रखा है। जिसमें आगामी तारीख पेशी 17.11.1997 निश्चित है। अप्रार्थी संख्या 1 भगताराम अपने स्वयं के कथन से पाबन्द है और भूमि वर्तमान ख0नं0 472, 469 व 468 से उसका कोई वास्ता नही है। आवंटन आदेश अप्रार्थी संख्या 1 भूमि आवंटन नियम 1957 की धारा 2(3) में दी हुई भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में नही आता है। योग्य तहसीलदार ने भू आवंटन सम्बन्धी नियम 1957 के नियम 7 के अनुसार कोई घोषणा करकें आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका नही दिया है तथा समस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध व गोपनीय ढंग से की गई है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर का आवंटन आदेश दिनांक 29.06.63 बहक अप्रार्थी संख्या 1 भगताराम निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं आवेदन के सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट जिस आवंटन आदेश के विरूद्ध पेश किया गया है उस आवंटन आदेश की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत आवेदन में प्रार्थीगण द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि विवादग्रसत आराजियात के सम्बंध में सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के न्यायालय में दावा इस्तकरार व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर

रखा है। जिसमें आगामी पेशी 17.11.1997 नियत थी। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये वाद के बाबत कोई तथ्य प्रकट नहीं किये गये। वादग्रस्त आराजियात के बाबत सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के न्यायायल में प्रस्तुत किये गये वाद की आदिनांक की वस्तुस्थिति के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट प्रस्तुत करते वक्त आवेदन के सलंग्न चुनौतिग्रस्त आवंटन आदेश की प्रति पेश नहीं की गई एवं दौराने बहस भी उक्त आवंटन आदेश की प्रति उपलब्ध होने एवं नहीं होने के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया गया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन जिस आवंटन आदेश के विरूद्व पेश किया गया है उक्त आवंटन आदेश की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से एवं वादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में न्यायालय सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के न्यायायल में प्रस्तुत वाद की वर्तमान स्थिति के सम्बंध में समस्त दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण के निष्कर्ष तक पहुंच पाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन व आधारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात बाबत सक्षम न्यायालय के समक्ष यदि वाद विचाराधीन है तो अपना पक्ष प्रस्तुत कर चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.12.03 18:06:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: